(b) in case no schedule was attached what are the basis to conclude that the said audit report complied with the requirements of law?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) Information in respect of all the schedules as mentioned in Multi State Societies (Account and Audit) Rules, 1985 was submitted by the statutory auditors in the main audit report for 1986-87.

(b) Does not arise.

Import of dry Dates by NCCF

1100. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question 2934 in the Rajay Sabha on 19th August, 1988 and state:

(a) whether C.B.I. investigation was undertaken in *Iraqi* dry dates much prior to July, 1987; and

(b) if so, what are the reasons for not serving the charge sheet framed against CAF of NCCF in July, 1987 and what are tic circumstances for withholding action airainst the said officer?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) The matter was referred to CBI by this Ministry in July, 1987.

(b) The charge sheet against Controller of Accounts & Finance could not be served in July 87 since the case was referred to the CBI for investigations and all the records had to be made available to them to facilitate investigations. The CBI have already started regular investigation and action will be taken against those found guilty in due course as per Law.

भारत पाक सीमा पर स्थित गांवों में बेरोजगारों के लिये "क्रैश जाब प्लान"

1101. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठ मलानी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पाक सीमा पर स्थित 212 गांवों में 30 वर्ष से कम आयु के लगभग 6000 मैट्रिक पास बेरोजगार नौजवान रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन नौजवानों के लिए एक "क्रैशजाब प्लान" बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस योजना को किस प्रकार और कब तक कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनादन पुजारी) : (क) से (घ). पंजाब सरकार ने भारत सरकार कोग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के आस-पास के गांवों में शिक्षित युवाओं में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी से संबंधित मामले का उल्लेख किया था। उनकी संख्या लगभग 5,000 बताई गई थी। राज्य सरकार ने चाहा था कि इस लक्षित समूह के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों की अधिकतम सीमा को एक विशेष मामले के तौर पर बढ़ा दिया जाए।

इस मामले की जांच की गई थी और यह महसूस किया गया था कि चूंकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, इसलिए, केवल एक राज्य के लिए सबसीडियों और निवेश के